संख्या-2/2018/545/ 43-1-2018

प्रेषक,

एस0एन0 शुक्ल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निरीक्षक,
राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय,
उ०प्र० इलाहाबाद।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक : 11 अप्रैल, 2018

विषय :- **वित्तीय वर्ष 2018-19 में मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय में आवश्यक व्ययों को वहन किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उ०प्र० इलाहाबाद के आवश्यक व्ययों को वहन किये जाने हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित निम्न विवरणानुसर रु० 3,47,51,000 (रुपए तीन करोड़ सैंतालीस लाख इक्यावन हज़ार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है :-

(रूपये लाख में)

मद का नाम	प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत धनराशि
01- वेतन	268.00	268.00
02- मजदूरी	0.20	0.20
03- मंहगाई भत्ता	26.80	26.80
04- यात्रा भत्ता	12.00	12.00
05- स्थानानंतरण यात्रा भत्ता	0.25	0.25
06- अन्य भत्ते	11.00	11.00
07- मानदेय	0.01	0.01
08- कार्यलय व्यय	1.40	1.40
09- विद्युत देय	0.50	0.50
10 जलकर/ जलप्रभार	0.10	0.10
11- लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	0.90	0.90
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.50	0.50
13- टेलीफोन पर व्यय	0.15	0.15
15- गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1.00	1.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओ के लिए भुगतान	0.30	0.30
17- किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	1.00	1.00
29- अनुरक्षण	1.00	1.00
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एव अन्य प्रसांगिक व्यय	0.60	0.60
45- अवकाश यात्रा व्यय	1.00	1.00
46- कंप्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय	1.00	1.00
47- कंप्यूटर अनुरक्षण/तद्सबन्धी स्टेशनरी का क्रय	1.00	1.00
49- चिकित्सा व्यय	1.20	1.20
51- वर्दी व्यय	0.15	0.15
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	17.45	17.45
योग	**347.51**	**347.51**

(रूपये तीन करोड़ सैंतालीस लाख इक्यावन हज़ार मात्र)

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी शासनादेशो एवं वित्त (आय-व्ययक अनुभाग-1) के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में दिए गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-46 के अधीन लेखा शीर्षक "2052-सचिवालय-सामान्य सेवायें-091-संलग्न कार्यालय-03-कार्यालय निरीक्षणालय" के सुसंगत इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिहित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0एन0 शुक्ल)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3-मुख्य कोषाधिकारी, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद।
4-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक)अनु-1/2 उ0प्र0 शासन।
5-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0आर0 यादव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in